न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी :—देवीलाल यादव (आर. ए. एस.)
राजस्व प्रकरण संख्या :— 26 / 2023

उनवान

1. शफकत अली पुत्र रौनक अली जाति मुसलमान
2. शाहिद अली पुत्र शौकत अली, हाल नि. गणेश जी के मन्दिर वाली गली, कृष्णापुरी, अजमेर रोड, मदनगंज किशनगढ

—— अपीलांट :— जरियें अधिवक्ता श्री नोरतमल जैन

बनाम

1. सरोज कलवार पत्नी कन्हैयालाल जाति कलाल निवासी बान्दनवाडा, तहसील भिनाय, अजमेर।
2. प्रेमलता दाधीच पत्नी आर. एस. दाधिच जाति ब्राह्मण नि. प्लाट न0 2 रेल्वे फाटक के पास आदर्श नगर, अजमेर,
3. ग्राम पंचायत झडवासा जरियें सरपंच ग्राम पंचायत झडवासा,
4. राज0 सरकार जरियें तहसीलदार, नसीराबाद

—— रेस्पोडेन्टस :— 1, 2 जरियें अधिवक्ता श्री सुखदेव चौधरी
3 अनुपस्थित, 4 जरियें राज0 पेरोकार

5. जाहिद अली पुत्र शौकत अली समस्त जाति मुसलमान, हाल नि. गणेश जी के मन्दिर वाली गली, कृष्णापुरी, अजमेर रोड, मदनगंज किशनगढ

—— प्रफोर्मा रेस्पोडेन्टस :— 5 अनुपस्थित

अपील अन्तर्गत धारा 75 राज. भू रा. अधि. 1956 बनाराजगी नामान्तकरण, ग्राम पंचायत झडवासा जरियें सरपंच, नामान्तकरण संख्या 1082 दिनांक 24.09.20 जो कि दिनांक 05.10.20 को स्वीकृत किया गया, ग्राम झडवासा तहसील नसीराबाद स्थित भूमि के सन्दर्भ में नामान्तकरण के विरूद्व अपील।

—: आदेश :— दिनांक :— २४.४.२५

अधिवक्ता अपीलांट ने उक्त अपील पेश कर निवेदन किया कि ग्राम झडवासा की अपीलाधीन भूमि हाल खसरा नम्बर 4045 रकबा 0.28 व 4050 रकबा 0.25 के बाबत रेस्पोडेन्ट संख्या 3 द्वारा जो नामान्तकरण स्वीकृत किया गया निरस्त योग्य है। ग्राम झडवासा के चौसाला खसरा नम्बर 2354 रकबा 6—0—0 वंकिंग खसरा नम्बर 3243, 3244, 3245 का राजस्व वाद 87 / [illegible] बाद में पेश किया गया। उक्त वाद दिनांक 23.04.12 के अनुसार हाल खस[illegible] 045 रकबा 0.28 व 4050 रकबा 0.25 पर वादीगण को खातेदार घो[illegible] प्रस्तुत अपील राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर द्वारा दिनांक 23.02.1[illegible] निरस्त की गयी व उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद का निर्णय यथावत रखा गया। उ[illegible] वाद के साथ प्रकरण [illegible]या 52 / 08 शफकत अली बनाम रामपाल की धारा 212 की [illegible]वली में दिनांक 06.01.2[illegible] अनुसार

—2

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.28 14:24:10 IST
Reason: SelfAttested

अपीलाधीन भूमि की मौके व रेकार्ड की यथास्थिति के आदेश दिये गये। जिसकी जानकारी ग्राम पंचायत झडवासा व हल्का पटवारी को होने के बाद भी आदेश की अवमानना करते हुये नामान्तकरण संख्या 435 दिनांक 21.02.12 गलत स्वीकृत किया गया। जिसकी अपील 282/12 शफकत अली बनाम प्रेमलता पेश की गयी। जिस पर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद ने दिनांक 25.05.22 को उक्त अपील स्वीकार कर नामान्तकरण संख्या 435 दिनाक 21.02.12 को निरस्त कर दिया। इसके बावजूद भी अपीलाधीन नामान्तकरण रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 के पक्ष में स्वीकृत किया गया। पूर्व में प्रस्तुत अपील विचाराधीन रहते हुये रेस्पोडेन्ट संख्या 2 द्वारा आराजी मुतनाजा का 1/2 हिस्सा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को बेचान कर दिया गया। पूर्व में न्यायालय द्वारा पारित आदेश व स्थगन के बावजूद उक्त बैचान व उसके आधार पर किया गया नामानतकरण प्रारम्भ से ही शून्य है। अतः अपीलाधीन नामान्तकरण संख्या 1082 निरस्त किया जावे। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्टस को जरियें नोटिस तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या 3 व 5 बावजूद तामीली अनुपस्थित रहे। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 ने निवेदन किया कि जवाबकर्ता द्वारा प्रतिफल राशि अदा कर भूमि कय की है। कब्जा केता ने प्राप्त कर लिया है। विकय पत्र की पालना नियमानुसार राजस्व अभिलेख में की गयी है। पूर्व में पारित निर्णय व डिकी की मियाद 12 वर्ष से अधिक हो गयी है। न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी में प्रकरण से सबंधित बाजदारी प्रार्थना पत्र लम्बित है। अतः अपील सव्यय खारिज की जावे।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन व अनुशीलन किया गया। विद्वान अधिवक्तागण के तर्कों पर मनन किया। हाजा न्यायालय में विचाराधीन राजस्व वाद संख्या 87/2008 में दिनांक 23.04.12 को निर्णय व डिकी पारित कर खसरा नम्बर 4045 रकबा 0.28 व 4050 रकबा 0.25 की आराजी वादीगण वर्तमान अपीलांट व रेस्पोडेन्ट संख्या 5 को खातेदार घोषित किया था। प्रतिवादी रामलाल वगै0 द्वारा उक्त निर्णय की अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी महोदय, अजमेर के यहा प्रस्तुत करने पर उक्त अपील दिनांक 23.02.15 को खारिज की गयी। आराजी मुतनाजा बाबत राजस्व वाद व धारा 212 अस्थायी निषेघाज्ञा का प्रार्थना पत्र अपीलांट व रेस्पोडेन्टस के मध्य पेश हुआ था। उक्त अस्थायी निषेघाज्ञा के प्रार्थना पत्र में हाजा न्यायालय द्वारा दिनांक 06.01.2010 को आराजी मुतनाजा के मौके व रेकार्ड की यथास्थिति ताफैसला मूल वाद बनाये रखने हेतु आदेश पारित किया गया। जिसकी अपील राजस्व अपील प्राधिकारी महोदय, अजमेर के न्यायालय द्वारा निरस्त की गयी। साथ ही उक्त विचाराधीन वाद में हाजा न्यायालय द्वारा दिनांक 23.04.2012 को निर्णय व डिकी पारित कर आराजी मुतनाजा का खातेदार वादीगण/अपीलांट को घोषित किया गया। उक्त अस्थायी निषेघाज्ञा के आदेश के बावजूद उक्त आराजी तत्कालीन खातेदार द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को बैचान कर दी तथा नामान्तकरण संख्या 435 दिनांक 21.02.2012 द्वारा उक्त आराजी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के नाम ग्राम पंचायत झडवासा द्वारा दर्ज कर दी गयी। उक्त नामान्तकरण भी अपील संख्या 282/2012 दिनांक 25.5.22 द्वारा निरस्त किया गया। इसके बावजूद भी प्रेमलता रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ने उक्त आराजी का बैचान रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को कर दिया जिसके विकय का नामानतकरण संख्या 1082 केता के नाम ग्राम पचांयत रेस्पोडेन्ट संख्या 3 द्वारा स्वीकृत किया गया। उक्तानुसार [illegible] व निर्णय व डिकी जारी होने के बावजूद आराजी मुतनाजा का बैचान [illegible]करण तस्दीक किया गया। मूल वाद में भी अपीलांट के पक्ष में [illegible] रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा उक्त आराजी कय की गयी, जबकि [illegible] आराजी का बैचान करने का अधिकार नही था। रेस्पोडेन्ट संख्या 3 व राजस्व कार्मिको द्वारा न्यायालय द्वारा पारित आदेश की पालना करनी चाहिये थी, किन्तु उनके [illegible]रा स्थगन आदेश पारित होने के बावजूद अपीलाधीन नामान्तकरण तस्दीक किया गया। रेस्पोडेन्टस अधिवक्ता का

—3

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.28 14:44:10 IST
Reason: SelfAttested

तर्क है कि डिक्री व निर्णय को 12 वर्ष हो गये है। अतः निर्णय मियाद बाहर हो गया है किन्तु उक्त निर्णय व आदेश 23.04.2012 को पारित किया गया व उक्त निर्णय व डिक्री की पालना से पूर्व ही भूमि का बेचान अन्यत्र करने के कारण अपीलांट द्वारा प्रश्नगत अपील व पूर्व में भी नामान्तकरण की अपील पेश की गयी है। तथा प्रस्तुत अपील में नामानतकरण निरस्त करने का अनुतोष चाहा है। उक्त अपील दिनांक 03.02.23 को ही पेश की जा चुकी है। अतः 12 वर्ष की मियाद पूर्ण नही हुयी हैं। साथ ही रेस्पोडेन्टस का कथन है कि अपीलांट द्वारा विक्रय पत्र को सक्षम न्यायालय में चुनौती नही दी है किन्तु न्यायालय इस तर्क से सहमत नही है। जबकि न्यायालय द्वारा पूर्व में ही आराजी मुतनाजा का खातेदार अपीलांट को घोषित कर दिया था तब प्रतिवादी अथवा अन्य व्यक्ति को भूमि विक्रय करने का कोई विधिक अधिकार प्राप्त नही था। उक्त नामान्तकरण तस्दीक कर के ग्राम पंचायत झडवासा द्वारा विधिक त्रुटी की है। अधिवक्ता रेस्पोडेन्टस ने यह भी निवेदन किया है कि प्रकरण में मूल वाद की अपील माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी महोदय द्वारा दिनांक 23.02.15 को अदम पैरवी अदम हाजरी में खारिज की गयी थी। उक्त प्रकरण में बाजदारी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा चुका है किन्तु उक्त बाजदारी प्रार्थना पत्र प्रश्नगत प्रकरण के अंतिम बहस में नियत होने के पश्चात पेश किया गया है। साथ ही रेस्पोडेन्टस अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज से यह भी स्पष्ट होता है कि उक्त बाजदारी प्रार्थना पत्र वर्तमान में जॉच रिपोर्ट में ही लम्बित है। प्रार्थना पत्र 9 वर्ष बाद प्रस्तुत किया गया है। बाजदारी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने से पूर्व में मूल वाद में हाजा न्यायालय द्वारा पारित आदेश अप्रभावी नही हो जाता है। उक्तानुसार अपीलांट अपनी अपील के तथ्यों को सिद्व करने में सफल रहे है।

अत अपील अपीलांट **"स्वीकार"** की जाती है। ग्राम पंचायत झडवासा द्वारा स्वीकृत नामान्तकरण संख्या 1082 दिनांक 05.10.2020 निरस्त किया जाता है। तहसीलदार नसीराबाद उक्त नामान्तकरण को निरस्त कर प्रकरण संख्या 87/08 शफकत अली बनाम रामपाल वगै में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 23.04.12 को मध्यनजर रखते हुये नियमानुसार नवीन सिरे से कार्यवाही करे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

आदेश सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.28 14:24:10 IST
Reason: SelfAttested